न्यायालय उप तहसीलदार सिंघाना जिला झुन्झनुं (राज0)

मुकदमा	किस्म मुकदमा	रज्जु दिनांक	निर्णय दिनांक
120/2019	धारा 91 एल.आर.एक्ट	15.10..2019	04.11.2019

उनवान सरकार बनाम महेन्द्र पुत्र भाताराम जाति माली निवासी ढाणा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं (राज0)

–: निर्णय :–

पत्रावली आज पेश हुयी। अतिक्रमी अनुपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। मामला संक्षिप्त में इस प्रकार है। पटवारी हल्का ढाणा ने सम्वत 2076 में इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि ग्राम ढाणा की राजकीय भूमि ख0 न0 56 कुल रकबा 1.24 है0 किस्म गै0 मु0 नदी मे से 0.20 है0 भूमि पर अतिक्रमी महेन्द्र पुत्र भाताराम जाति माली निवासी ढाणा में अवैध रूप से बाड़ छड़ी व जोत कर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किया गया है।

रिपोर्ट पटवारी हल्का से प्राप्त होने पर मामला दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिक्रमी को राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया जाकर तलब किया गया। नोटिस प्राप्ति पर अतिक्रमी उपस्थित रहा।

पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य/सबुत का गहनता से मनन किया गया । अतिक्रमी द्वारा किया गया अतिक्रमण जो काबिल नियमन नही है। ना ही नियमो के अनुरूप है। अतिक्रमी द्वारा राजकीय भूमि में बाड़ छड़ी व जोत कर अतिक्रमण किया गया है। अतिक्रमण किये जाने के फलस्वरूप अतिक्रमी घोषित किया जाता है व जैर बहस रिपोर्ट पटवारी पर से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते है।

अतिक्रमी द्वारा अनाधिकृत रूप से किये गये अवैध रूप से बाड. छड़ी व जोत कर अतिक्रमण किये जाने के दण्ड स्वरूप शरह लगान 4.94/– का अतिक्रमण शुदा भूमि के ख0 न0 56 लगान 0.20 की 50 गुणा जुर्माना राशि 10/– बतौर शास्ति कायम किये जाते है।

तहसील राजस्व लेखाकार/भू0 अ0 निरीक्षक/पटवारी हल्का को वास्ते जमा कायमी/बेदखली/वसूली हेतु लिखा जावे। भू0 अ0 निरीक्षक को राजकीय भूमि से अतिक्रमित भूमि से वास्तविक रूप से बेदखल करने हेतु लिखा जावे। पत्रावली बाद तकमील तामील दाखिल दपतर हो तथा नम्बर शुमार से कम होकर दर्ज फैसला हो।

निर्णय आज दिनांक 04.11..2019 को खुले न्यायालय सुनाया में सुनाया गया।

उप तहसीलदार सिंघाना